संख्या-799/2025/635/22-2-2023-17(1147)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2025*

विषय:- जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जलालुद्दीन पुत्र श्री नत्थू अली, जनपद-मैनपुरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जलालुद्दीन पुत्र श्री नत्थू अली, मोहल्ला ब्रम्हानान, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनाक 23.11.2015 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर साढ़े तीन वर्ष बच्ची का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या- 04/2016 में भा0द0वि0 की धारा-364/149,302/149 201/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश एक्ट विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो 01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 20.08.2022 तक 03 वर्ष, 02 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 वर्ष बच्ची की हत्या) एवं अपरिहार 03 वर्ष, 02 माह, 04 दिन व सपरिहार 03 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जलालुद्दीन (बन्दी संख्या-65/21) पुत्र श्री नत्थू अली, जनपद-मैनपुरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-799/2025/635(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।